आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति।
गाँधी मैदान परिसर, पटना स्थित ई–ट्रॉली के भाड़े पर परिचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना अंतर्गत श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति द्वारा गाँधी मैदान का संचालन एवं रख–रखाव किया जाता है। गाँधी मैदान, परिसर में आमजन/अधिकृत पदाधिकारी के भ्रमण के लिए अधिकतम 03 (तीन) ई–ट्रॉली की आवश्यकता है। इस निमित्त निम्नांकित शर्त्तों के अधीन इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिकों से मुहर बन्द अभिरुचि की अभिव्यक्ति EOI आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. एजेन्सी अथवा ई–ट्रॉली मालिक के पास PAN का होना आवश्यक है।
2. ई–ट्रॉली के रख–रखाव का दायित्व ई–ट्रॉली मालिक का होगा।
3. अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के साथ संलग्न सभी अभिलेख स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए।
4. अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के साथ 5,000/–रू0 बैंक ड्रॉफ्ट EMD के रुप में, जो ''श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति'' के पक्ष में हो, संलग्न करना होगा।
5. इस संबंध में प्रस्ताव समर्पित करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था के प्रतिनिधि विशेष जानकारी हेतु दिनांक 07.09.2018 को अपराह्न 01.30 बजे आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में प्री–बिड की बैठक में भाग ले सकते हैं।
6. इच्छुक कार्य एजेंसी अथवा ई–ट्रॉली वाहन मालिक सभी वांछित अभिलेख आवेदन के साथ दिनांक 18.09.2018 के अपराह्न 01.30 बजे तक श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति कार्यालय में मुहरबंद लिफाफे में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) जमा कर सकते हैं। इस लिफाफे पर एजेंसी अथवा ई–ट्रॉली वाहन मालिक का नाम और उद्देश्य अंकित होना चाहिए।
7. प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) दिनांक 18.09.2018 को 03.00 बजे अपराह्न में आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के सभाकक्ष में खोली जायेगी, जिसमें एजेंसी अथवा ई–ट्रॉली वाहन मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। एजेन्सी/मालिक अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI खोलने के समय संलग्न अभिलेखों की मूल प्रति साथ लायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जमा किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रति के साथ किया जा सके।
8. अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त सह अध्यक्ष, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।
9. जिस एजेन्सी का श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति को प्रतिमाह देय शुल्क की राशि अधिकतम (H1) होगा उन्हें ही गाँधी मैदान परिसर, पटना में ई–ट्रॉली परिचालन की स्वीकृति दी जायेगी, यह कार्य अवधि 11 माह के लिए वैध होगा। कार्य संतोषप्रद रहने पर अधिकतम 2 वर्ष तक सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
10. चयनित कार्य एजेन्सी द्वारा गाँधी मैदान परिसर का एक बार भ्रमण करने हेतु अधिकतम शुल्क 5/– रु0 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा तथा इसका रसीद भ्रमण करने वाले को दिया जायेगा।
11. ई–ट्रॉली में बैठने की क्षमता 6 (छः) या 8 (आठ) लोगों की होनी चाहिए।
12. चयनित कार्य एजेन्सी को गाँधी मैदान परिसर में ई–ट्रॉली के परिचालन हेतु श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति को प्रतिमाह शुल्क के रूप में निविदत्त राशि प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक नियत रूप से समिति कार्यालय में डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा।
13. ट्राली परिचालन की समयावधि पूर्वाह्न 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही होगा।
14. विशेष परिस्थिति में ट्राली का परिचालन बन्द भी करवाया जा सकता है, परिचालन बंद होने की समयावधि का शुल्क/मासिक शुल्क देय नहीं होगा।
15. वित्तीय निविदा विहित प्रपत्र प्रारूप में देना आवश्यक है। विहित प्रपत्र प्रारूप नीचे अंकित है।

FOR REFERENCE ONLY

विहित प्रपत्र प्रारूप

वाहन का प्रकार	**दर (राशि रु0 में)**
	निविदादाता द्वारा समिति को प्रतिमाह प्रति ई–ट्राली दी जाने वाली राशि
ई–ट्रॉली	

नोटः– तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों (छायाप्रति) की सूची :–

(i) आवेदन

(ii) कार्य एजेंसी/कार्य एजेंसी के मालिक के PAN की छायाप्रति।

(iii) 5,000/– रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट

नोट :– प्रस्ताव को वेबसाईट–www.patnadivision.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमण्डल, पटना–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना।

FOR REFERENCE ONLY